राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक: 10 NOV 2025

सं. एफ. 2(2)वित्त/कर/2024-116:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(2)वित्त/कर/2024-116 दिनांक 01.10.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
(नथमल डिडेल)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 01, 2025

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान खंड 17 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"17. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं के भीतर अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा-परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी में अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय और दान की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय या दान की लिखत में, क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का शेयर 2000 वर्गमीटर या इससे कम है, भूमि के ऐसे शेयर का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।";

(ii) खंड 18 के स्पष्टीकरण (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विक्रय की लिखत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विक्रय और दान की लिखत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खंड 18 के स्पष्टीकरण (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विक्रय की लिखत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विक्रय या दान की लिखत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) विद्यमान खंड 24 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान टिप्पण (i) से पूर्व, निम्नलिखित नया खंड 25 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"25. नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें

नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र.सं.	सड़क की चौड़ाई	लागू दरें
1.	40 फीट	संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा यथा विहित।
2.	40 फीट से अधिक और 60 फीट तक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में दस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
3.	60 फीट से अधिक किंतु 100 फीट से कम	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4.	100 फीट या अधिक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में बीस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण:- जिला स्तरीय समिति द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों की भिन्नता के मामले में उच्चतर दरें लागू होंगी।"; और

(v) टिप्पण (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड 1 से 24" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खंड 1 से 25" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.2(2)वित्त/कर/2024-116]

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(नथमल डिडेल)

संयुक्त शासन सचिव''

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव